जोधपुर डिस्कॉम

विद्युत आपूर्ति की दरें

(टैरिफ –2004)

(1 जनवरी , 2005 से प्रभावी)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

क्रंमाक / जो.डि. / मुआ / सीपीएम / अ.अ.(रा) / प्रे.2028 दि. 31.12.04

विद्युत आपूर्ति की दरें (टैरिफ) 2004

'' विद्युत अधिनियम –2003 की धारा –62 एवं 64 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा, याचिका संख्या आर ई आर सी / 37 / 2004 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर ,2004 के अनुसरण में ,जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जिसे बाद में 'जोधपुरडिस्कॉम'' वर्णित किया गया है) एतद द्वारा जोधपुरडिस्कॉम के परिक्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की दरें निर्धारित (विद्यमान टैरिफ को प्रतिस्थापित करते हुए)करता है। यह खुदरा आपूर्ति टैरिफ अनुसूची ,जो यहॉ तत्पश्चात् निर्धारत की गई है, के अनुसार होगी :–

(I) संक्षिप्त शीर्षक :– इस टैरिफ को '' विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ – 2004 '' कहा जाएगा ।

(II) प्रारम्भः– यह टैरिफ 1 जनवरी ,2005 से प्रभावी होगी। पहले बिल के लिए मीटर पठन 1 जनवरी 2005 या उसके पश्चात् पर आधारित होगा, यह संशोधित टैरिफ 1 जनवरी,2005 के पश्चात् यथानुपात उपभोग के आधार पर प्रभारित होगी।

(III) प्रयोज्यता की सामान्य शर्तेः– यह टैरिफ निम्नांकित सामान्य शर्तो पर लागू होगी :–

(1) यह टैरिफ जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें और निबन्धन एवं समय समय पर तदैव के प्रभावी संशोधन, नियमों, विनियमों या उनके अधीन अन्य पश्चातवर्ती संशोधन या रूपान्तरण जो भी लागू हो, के प्रावधानों के विषयगत होगी।

(2) जब तक अन्यथा सहमति हो या विनिर्दिष्ठ किया जाए, यह टेरिफ सिंगल वोल्टेज के एकल बिन्दु की आपूर्ति पर लागू होगी । अन्य बिन्दु या दूसरे वोल्टेज पर आपूर्ति अलग से प्रभारित की जाएगी।

(3) यदि किसी महीने में स्थायी प्रभार. ऊर्जा प्रभार की राशि न्यूनतम

बिलिंग राशि से कम होती है, तो न्यूनतम बिलिंग राशि प्रभारित की जाएगी। अन्य कोई प्रभार या सरकारी कर,न्यूनतम बिलिंग राशि के अतिरिक्त होगा। उपभोक्ता द्वारा अधिकृत प्रोत्साहन राशि को न्यूनतम बिलिंग की राशि से कम कर दिया जाएगा।

(4) यह दरें/प्रभार विद्युत ड्यूटी , टेक्सेज और सरकार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय –समय पर लगाए गए अन्य प्रभारों के अतिरिक्त होगी ।

(5) इस शुल्क दर (टैरिफ) के अधीन आपूरित विद्युत का उपयोग तत्सम्बन्धित शुल्क दर अनुसूची के अधीन स्वीकार्य उद्देश्य के अलावा नहीं किया जाएगा।

(6) इस शुल्क दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क दर संरचना की विभिन्न सेवा श्रेणियों ,जिन्हें तत्पश्चात् वर्णित किया गया है, के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है। तदानुसार ,एक उपभोक्ता कथित शुल्क दर ढांचे की सेवा श्रेणी में आने के पश्चात् ,दूसरी सेवा श्रेणी में प्रभारित होने का अधिकारी नहीं होगा, भले ही उसका ऊर्जा उपभोग या आपूर्ति प्रणाली या वोल्टेज या उसके सम्बद्ध भार का उद्देश्य कुछ भी हो।

(7) बिलिंग मांग महीने में वास्तविक अभिलिखित अधिकतम मांग या अनुबन्ध मांग की 75:,जो भी उच्च हो, बिलिंग मॉग मानी जाएगी।

(8) उन मामलों में जहॉ पर अनुबन्ध मॉग किलोवाट में दी गई है, शुल्क दर (टैरिफ)के उद्देश्य हेतु केवीए में अनुबन्ध मांग, औसत पावर फैक्टर 0.90 स्वीकार करते हुए निर्धारित की जाएगी।

(9) (प) '' सम्बद्ध भार '' से आशय उपभोक्ता परिसर में समस्त ऊर्जा उपभोगी उपकरणों की कुल रेटेड क्षमता से हैं, जिनका प्रवर्तन साथ– साथ किया जा सके।

(पप) शुल्क दर (टैरिफ) के उद्देश्य हेतु हार्स पावर में सम्बद्ध भार'' ब्रेक हार्स पावर '' होगा। सम्बद्ध भार को किलोवाट में बदलने हेतु ब्रेक हार्सपावर को 0.746 से गुणा किया जायेगा।

(10) ' उपभोक्ता ' से आशय उस व्यक्ति से है जिसको स्वयं के उपयोग के लिये जोधपुरडिस्कॉम द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही हो तथा वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके परिसर को तदैव समय जोधपुरडिस्कॉम द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु जोड़ा गया हो।

(11) अनुबन्ध मांग(ब्वदजतंबज कमउंदक) से आशय होगाः–

(प) के.वी.ए. में मॉग जिसकी ऊर्जा आपूर्ति के लिए जोधपुरडिस्कॉम समय–समय पर नियंत्रित शर्तो के अधीन विशिष्ट वचनबद्धता करता है या

(पप) वर्तमान उपभोक्ताओं के मामले में जहॉ पर जोधपुरडिस्कॉम ने कोई विशिष्ट वचनबद्धता नहीं की है, उपभोक्ता का कुल सम्बद्ध भार उस उपभोक्ता की '' अनुबंध मॉग '' माना जायेगा।

(12) 25 हार्स पावर से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के यहां अधिकतम मांग मीटर (डक्प्) लगाना आवश्यक है।

(13) एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक बार, अधिकतम मांग मीटर (डक्प्) के अनुसार '' अधिकतम मांग '' 50 केवीए से ज्यादा आने पर लो वोल्टेज आपूर्ति से हाई वोल्टेज आपूर्ति में परिवर्तन प्रभावी होगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक माह का नोटिस , जो कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा तीसरी बार '' मांग (क्मउंदक) 50 केवीए से अधिक आने पर जारी किया जायेगा, की अवधि में 11 केवी सप्लाई लेनी होगी अन्यथा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जायेगा।

(14) हेचरीज(भ्जबीमतपमे) वह स्थान है जहॉ पर अण्डों को चूजों के लिये सेंया जाता है ओर हेचरीज में इनक्यूबेटर उष्मक (हेचर)भी अधिव्यापित होते हैं।

(15) '' अधिकतम मांग ''अथवा मांग से आशय के.वी.ए. की औसत राशि से है, जो उपभोक्ता के आपूर्ति बिन्दु पर माह के मध्य निरन्तर 30 मिनट के अधिकतम उपभोग के दौरान प्रदान की जाती है।

(16) '' व्यक्ति'' (च्मतेवद)से आशय में फर्म ,कम्पनी और व्यक्तियों की सहयोगी संस्था भले ही समाहित हो या नहीं और निगमित अन्य निकाय,जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इत्यादि शामिल है।

(17) '' पॉल्ट्री फार्म ''(च्वनसजतल थ्तउ) से आशय ऐसे स्थान से है जहॉ पर मुर्गियों का पालन अण्डें या मांस या दोनों के लिए किया जाता है।

(18) '' पावर फैक्टर '' से आशय कुल वाट घण्टों तथा कुल समतुल्य वोल्ट एम्पीयर्स घण्टे का अनुपात होगा।

(19) पावर कट्स की अवधि , हाई टेन्शन आपूर्ति उपभोक्ताओं के मामले में , विद्युत ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबन्ध के दौरान किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता पर विचार किए बिना निर्धारित प्रभार और न्यूनतम बिलिंग में यथानुपात कमी, मास के दौरान प्रतिबन्धों ओर पावर कट्स के औसत आधार पर प्रदान की जाएगी।

(20) इस शुल्क दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में किसी भी संदेह के निवारण हेतु ,मामले को जोधपुरडिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जाएगा। यदि मामले का हल नहीं होता है तो उसे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को सन्दर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और उपभोक्ता पर बाध्यकारी होगा।

(21) ''मौसमी कारखाने''(मेंवदंस प्दकनेजतपमे) से आशय ऐसी फैक्टरीज से है, जो अपनी उत्पादन प्रकृति के अनुसार वर्ष के किसी भाग में निरन्तर अधिकतम (आठ) 8 माह तक काम करते है, जैसे आईस फैक्टरीज, तेल मिल्स, तेल परिशोधन इकाईयॉ ,चावल मिल्स , ईट उत्पादन, फैक्टरीज,तरल पेय इन्डस्ट्रीज, दूध डेयरियॉ जो कि सिर्फ घी एवं / या स्कीमर दूध पाउडर का उत्पादन करती हो लेकिन दूध उत्पादन भी करने वाली डेयरियों को छोडकर, चीनी मिल्स (बशर्ते कोई दूसरा उद्योग मय डिस्टीलरी को उस सम्बन्ध से ऊर्जा आपूर्ति नहीं करेगा) और दूसरी ऐसी फैक्टरीज, जिन्हें निम्नांकित शर्तो के विषयगत समय–समय पर जोधपुरडिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाये:–

(प) नए उद्योग के लिये पहले वर्ष में मौसमी अवधि और गैर मौसमी अवधि बिलिंग उद्देश्य हेतु सम्बन्ध जारी करने के समय अधिसूचित की जाएगी। आगे की अवधि के लिये मौसमी अवधि(अधिकतम 8 माह) भी कनेक्शन जारी कराने के समय अधिसूचीत की गई होगी। हॉलां कि इसे ''मौसमी अवधि '' से पहले एक माह के नोटिस द्वारा बदला भी जा सकेगा।

(पप) मौसमी अवधि, उपभोक्ता से मौसम प्रारम्भ होने के न्यूनतम एक माह पूर्व नोटिस पर आधारित होगी। ऐसे किसी नोटिस के अभाव में गैर मौसमी (न्यूनतम चार माह) अवधि की समाप्ति के बाद, मौसम अवधि का प्रारम्भ उस मास से निरन्तर अधिकतम 8 माह के लिए माना जाएगा ।
यद्यपि मौसमी उपभोक्ता अपने मौसमी अवधि को एक माह पूर्व से ही चालू करना चाहता है तो उपभोक्ता की लिखित प्रार्थना पर मौसमी

अवधि को तीन वर्ष में एक बार एक माह पूर्व से ही चालू करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

(पपप) गैर मौसमी अवधि (न्यूनतम चार माह) के दौरान विनिर्दिष्ट ''स्थायी प्रभार '' निर्धारित राशि के 25 प्रतिशत के हिसाब से वसूल की जाएगी। जबकि ऊर्जा उपभोग वास्तविक खपत के हिसाब से वसूली जायेगी।

(पअ)गैर मौसमी अवधि के किसी मास में उपभोग पूर्ववर्ती मौसमी अवधि के औसत मासिक उपभोग का 25ः से अधिक नहीं होगा । यदि किसी माह में ऐसी सीमा पार की जाती है तो गैर मौसमी अवधि के स्थायी प्रभार के अलावा ऊर्जा उपभोग सामान्य विद्युत दर (प्रति यूनिट) की डेढ (1.5) गुणा दर से राशि वसूल की जायेगी। गैर मौसमी अवधि के दौरान बिल की गई राशि को मौसमी अवधि में ली जाने वाली न्यूनतम बिलिंग राशि के मद में नहीं माना जायेगा।

(22) ''न्यूनतम बिलिंग में राहतः–

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम बिलिंग में निम्नांकित राहत भी प्रदान होगीः–

(ए) उपभोक्ता का सम्बन्ध विच्छेद होने की अवधि में ''न्यूनतम बिलिंग खण्ड लागू नहीं होगा। सम्बन्ध विच्छेद होने की तिथि को विद्यमान बकाया के भुगतान किए जाने तक 10ः वार्षिक ब्याज प्रभार वसूला जाएगा। यह राहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

(बी) नए वृहत औद्योगिक उपभोक्ता के मामले में कनेक्शन जारी होने की तिथि से पहले छह माह में न्यूनतम बिलिंग के स्थान पर वास्तविक उपभोग प्रभार एवं '' स्थायी प्रभार '' वसूला जाएगा और आगामी छह माह की अवधि के लिए वास्तविक '' उपभोग प्रभार'' एवं स्थायी प्रभार या न्यूनतम बिलिंग का 50ःए जो भी अधिक हो ,वसूल किया जाएगा। यद्यपि यह राहत केन्द्रीय /राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम को नहीं दी जायेगी। साथ ही ऐसे सभी मामलों में जिनमें यदि मीटर खराब हो/बन्द अथवा चलने से रूकने पर इस अवधि में भी यह छूट देय नहीं होगी।

(सी) नए लघु और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में कनेक्शन जारी होने के पहले वर्ष में न्यूनतम बिलिंग के स्थान पर

वास्तविक उपभोग, प्रभार एवं स्थायी प्रभार वसूला जाएगा। तत्पश्चात् दूसरे वर्ष में वास्तविक उपभोग प्रभार एवं स्थायी प्रभार या निर्धारित न्यूनतम बिलिंग का 75ःए जो भी अधिक हो ,वसूल किया जाएगा।

(डी) बीमार उद्योगों के मामलों में जिनका सम्बन्ध विच्छेद नहीं है,तो आरएफसी/रीको /उद्योग विभाग /बीआईएफआर से रूग्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर , वास्तविक उपभोग प्रभार.स्थायी प्रभार लेकिन कम से कम न्यूनतम बिलिंग का 50ः एक वर्ष के लिए, पहली बार में वसूल किया जाएगा। इसके पश्चात् इसे वर्ष दर वर्ष आर एफ सी /रीको/उद्योग विभाग/ बीआई एफ आर से रूग्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विषयगत बढ़ाया जा सकता है।

(इ)पूर्व उपभोक्ता द्वारा रूग्ण उद्योग को चालू करने पर न्यूनतम बिलिंग के स्थान पर वास्तविक उपभोग प्रभार एवं स्थायी प्रभार या निर्धारित न्यूनतम बिलिंग का 1/3 हिस्सा, जो भी अधिक हो, रूग्णता अवधि के लिए वसूल किया जाएगा पर इसके लिए उपभोक्ता को रीको/आर एफ सी/उद्योग विभाग/ बी आई एफ आर से रूग्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(एफ) औद्योगिक ईकाई ,जिसे नए उपभोक्ता द्वारा चालू किया जा रहा है, के मामले में न्यूनतम बिलिंग के स्थान पर वास्तविक उपभोग प्रभार एवं स्थायी प्रभार, ऊर्जा आपूर्ति चालू होने के छह माह तक वसूल किया जाएगा। इसके पश्चात् अगले एक वर्ष के लिए वास्तविक उपभोग प्रभार एवं स्थायी प्रभार या न्यूनतम बिलिंग का 50ःएजो भी अधिक हो ,वसूल किया जाएगा।

शुल्क दर (टैरिफ) संरचना

भाग – ८

(एल. टी. टैरिफ)

(१) घरेलू सेवा (अनुसूची डीएस/एलटी–1)

(ए) प्रयोज्यता

आवासीय उपभोक्ताओं को सदाशयी (ठवदंपिकम)घरेलू उपभोग जैसे प्रकाश पंखें, रेडियों ,टेलीविजन ,हीटर्स ,कुकर्स , रेफ्रीजेटर्स मय पम्पस, ग्राइन्डर्स ओर दूसरे घरेलू उपकरणों हेतु उपलब्धता होगी।

मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण संस्थानों ,किशोर गृह संस्था ,समाज कल्याण विभाग या अन्य दूसरे सरकारी प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त अनाथालय ,कुष्ठ गृह, यतीमखाना और वृद्ध नागरिक गृह, मॉ टेरेसा गृह , जनता प्याऊ जहॉ पर सभी के लिये पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, पंजीकृत चेरीटेबल ट्रस्ट या संस्थानों द्वारा संचालित ऐसी धर्मशालाएं जो सिर्फ रहने के काम आती हो एवं वहॉ पर रहने, बिजली एवं पानी आदि मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है और सदाशयी घरेलू उपयोग के हॉस्टल्स को भी यह उपलब्ध होगी।

किसी भी प्रकार के संगठन के आवासीय क्वाटर्स/कोलोनीज को उपरोक्त सदाशयी घरेलू उपयोग हेतु भी यह उपलब्ध होगी बशर्ते जोधपुर डिस्कॉम की वितरण प्रणाली उनको विभिन्न सम्बन्ध प्रदान करने के लिए विद्यमान हो।

यदि किसी एक कनेक्शन (आवासीय कॉलोनियों के अलावा) की अधिकतम विद्युत मांग 50 केवीए से अधिक हो तो सप्लाई वोल्टेज खण्ड –(बी) के अनुसार अर्थात 11 केवी या अधिक होगा लेकिन बिलिंग सम्बद्ध भार के आधार पर होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :—

ए.सी, 50 हर्टज, निम्नांकित दर्शाए आपूर्ति वोंल्टेज पर :—

(प) 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु	एल टी सिंगल फेज 230 वो.. या थ्री फेज 400 वो. उपभोक्ता के विकल्प पर
(पप) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन अधिकतम मांग 50 केवीए तक	एल टी थ्री फेज 400 वो.
(पपप) सिंगल कनेक्शन (आवासीय कॉलोनियों के अलावा)जहॉ अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक हो ।	11 के.वी. या इससे अधिक

(सी) प्रभार दर :

(1) स्थायी प्रभार : पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर निम्नानुसार लागू होगा :—

(प) 50 यूनिट तक प्रतिमाह	80 रूपये प्रति सम्बद्ध प्रति माह
(पप) 50 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	105 रूपये प्रति सम्बद्ध प्रति माह

एवं

(2) ऊर्जा प्रभार :

(प) 50 यूनिट प्रतिमाह	195 पैसे प्रति यूनिट
(पप)50 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	350 पैसे प्रति यूनिट

टिप्पणियॉ :–

(1) स्थायी प्रभार पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर पर लगाया जाएगा । नए उपभोक्ता के मामले में पहले छह माह हेतु स्थायी प्रभार की सबसे कम स्लैब दर से लगाया जाएगा और इसके पश्चात इसे छह माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शनों के मामले में ऊर्जा प्रभार में 10: की छूट प्रदान की जाएगी । लेकिन यदि रात–दिन विद्युत प्रदाय की जा रही हो तो यह 10: की छूट देय नहीं होगी ।

(3) यदि उपभोक्ता जोधपुरडिस्कॉम की अनुमति पश्चात् '' सौर जल उष्मक प्रणाली '' का उपयोग करता है तो उसे 5 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

(4) किसी आवासीय घर में ऊर्जा उपभोग जिसके परिवार के सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किए बिना, वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यवाही में संलग्न होते है तो उन्हें मात्र घरेलू श्रेणी में ही प्रभारित किया जाएगा बशर्ते कि
(प) आवासीय घर के जिस हिस्से में वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यवाही हो रही हो वहॉ पर विद्युत सम्बद्ध भार 2 कि.वा. से अधिक नहीं होना चाहिये।
(पप) दुकान किसी स्थापित बाजार में नहीं होनी चाहिये अर्थात सड़क /गली के दोनों तरफ 25 प्रतिशत से ज्यादा दुकाने नही होना चाहिये ।
कोई कनेक्शन पूर्व में चाहे किसी कारणों से अधरेलू अथवा औद्योगिक श्रेणी में रखा गया हो, यदि वह उपरोक्त शर्ते पूरी करते हों तो उन्हें घरेलू श्रेणी में बदल दिया जायें।

(5) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2: (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4: (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2: विलम्ब भुगतान

अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(6) आवासीय बिल्डिंग कॉम्पलेक्स में यदि कुछ फ्लेट्स अघरेलू श्रेणी में कार्य आते हो तो कॉमन युटिलिटि के विद्युत उपभोग को घरेलू एवं अधरेलू फ्लेट्स की संख्या के अनुपात में घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी की टैरिफ पर बिल जारी किये जायेंगे।

(7) इस अनुसूची के अन्तर्गत कनेक्शन यदि एच.टी.(11 केवी या 33 केवी) पर दिया गया हो तो बिल(ठपससमक ंउवनदज) की गई राशि पर 5ः की छूट देय होगी।

(8) जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3ःकी वृद्धि की जाएगी।

(डी) पावर फैक्टर क्लॉज :

(प्द्ध(1) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(2) ऐसे उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) या इससे अधिक रखने के लिये मोटर की हार्सपावर के 50ः की केवीएआर क्षमता के केपेसिटर नहीं लगा रखा हो अथवा यदि लगा भी रखा हो परन्तु सही कार्य नही कर रहा हो तो, केपेसिटर के खराब रही अवधि में बिल की गई राशि की 3ः राशि सरचार्ज के रूप में वसूल की जायेगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से, अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(पप) इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) से नीचे गिरने के मामले मे, औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1ः)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95ः)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1ः) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर पैक्टर 0.70 (70ः) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(प्प) अघरेलू सेवा (अनुसूची एनडीएस/एलटी–2)

(ए) प्रयोज्यता :

इस अनुसूची;बीमकनसमद्ध में वे सभी श्रेणियॉ शामिल होंगी जिन्हे टेरिफ संरचना के भाग–प्(एलटी टैरिफ) की अन्य अनुसूचियों ;बीमकनसमे)में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नांकित हैः–

————————————————————————————————

डीएस/एलटी–1	पीएसएल/एलटी–3,	एजी/एलटी–4
एसपी/एलटी–5	एमपी /एलटी–6,	एमएल/एलटी–7

————————————————————————————————

वाणिज्यिक और अधरेलू संस्थानों जैसे दुकानें ,व्यापार हाऊस ,पूजास्थल ,ऐसे छात्रावास जहॉ सिर्फ सदाशयी घरेलू उपयोग नहीं हों, ऐसी धर्मशालाए जो पंजीकृत चेरीटेबल ट्रस्ट या संस्थाओं द्वारा संचालित नहीं है एवं वहां पर रहने, पानी व बिजली निशुःल्क उपलब्ध नहीं हो , होटल्स ,रेस्टोरेन्टस पेट्रोल पम्पस, सर्विस स्टेशन्स, गैरेज, ऑडिटोरियम्स, सिनेमा ,निजी अस्पताल,नर्सिग होम्स,डिस्पेन्सरीज, और डाक्टर्स के क्लिनिक जो निजी आधार पर चलाए जाते है, अमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान ,भारत दूर संचार निगम लिमिटेड (ठैछस्) के अलावा अन्य दूरभाष केन्द्र के ऑफिस जो उनके दूरभाष केन्द्र के साथ ना हो , विवाह स्थल , जोजोबा कल्टीवेशन , गौशालाए एवं /और नर्सरीज इत्यादि घरेलू परिसर का वह भाग जहॉ वाििणिज्यिक या अधरेलू संस्थानों के व्यापार का कार्य होता हो तथा वकीलों के ऑफिस जो उनके घर में स्थित ना हो में प्रकाश ,पंखें, हीटींग और ऊर्जा आपूर्ति इसमें शामिल हैं ।

(बी) सेवा की प्रकृति ’

————————————————————————————————

ए.सी , 50 हर्टज , निम्नांकित दर्शाये आपूर्ति वोल्टेज :–

(प) 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु — एल टी सिंगल फेज ,230 वो. या थ्री फेज 400 वोल्ट्स ,उपभोक्ता के विकल्प पर

(पप) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन अधिकतम मांग 50 केवीए तक — एल टी थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार दर :

(1) स्थायी प्रभार : औसत मासिक उपभोग पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर निम्नानुसार लागू होगाः–

(1) 5 किलोवाट तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु	
(प) 100 यूनिट्स तक प्रति माह	80 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह
(पप) 100 यूनिट्स से अधिक प्रति माह	120 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह
(2) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्ब्द्ध भार लेकिन अधिकतम मांग 50 केवीए तक	40 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह स्वीकृत सम्बद्ध भार का

एवं

(2) ऊर्जा प्रभार

(प) पहले 100 यूनिट्स प्रति माह	450 पैसे प्रति यूनिट
(पप)100 यूनिट्स से ऊपर प्रति माह	490 पैसे प्रति यूनिट

टिप्पणियॉ :–

(प) स्थायी प्रभार पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगाया जाएगा । नए उपभोक्ता के मामले में पहले छह माह हेतु स्थायी प्रभार की सबसे कम स्लैब दर से लगाया जाएगा और इसके पश्चात छह माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा।

(पप) सार्वजनिक पूजा स्थल ,जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 किलोवाट तक है , पहले 100 यूनिट्स प्रतिमाह का शुल्क दर इस अनुसूची के अधीन लागू ऊर्जा प्रभार का आधा लिया जाएगा । यद्यपि स्थायी प्रभार पूरा लिया जायेगा ।

(पपप) जोजोबा कल्टीवेशन एवं गोशालाओं के लिए समस्त उपभोग इस अनुसूची की शुल्क दर की आधी ली जाएगी। यद्यपि स्थायी प्रभार पूरा लिया जायेगा।

(पअ) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुर डिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2: (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4: (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2: विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(अ) इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता यदि एच टी सप्लाई चाहता है तो उसकी स्वीकृति दी जा सकेगी तथा उस पर अनुसूची छक्ैध्भ्ज्.2 लागू होगी। तदानुसार उपभोक्ता को अपनी मांग दर्शानी होगी ।

(अप) विवाह पार्टी /अन्य उत्सव हेतु विवाह स्थल के प्रबन्धकों को इसके लिये जरूरत के अनुसार सम्बद्ध भार का स्थायी कनेक्शन लेना होगा। उपभोक्ता की अधिकतम मांग 50 केवीए से भी अधिक होने पर भी उसके परिसर के बाहर ट्रांसफारमर जोधपुरडिस्कॉम के खर्चे पर लगाया जायेगा। ऐसे कनेक्शनों पर न्यूनतम बिलिंग लागू नहीं होगी। अपितु उनसे वास्तविक खपत के आधार पर अधरेलू सेवा छक्ैध्स्ज्.2 के सामान्य “ स्थायी प्रभार ” एवं “ ऊर्जा प्रभार ” का (एक दशमलव चार) 1.4 गुणा लागू होगा ।

(डी) न्यूनतम बिलिंगः—

पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लागू होगी, जो निम्नानुसार होगा :–

(ए) 5 किलोवाट तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु (एल टी आपूर्ति)

(प) 100 यूनिट्स तक प्रति माह

ग्रामीण क्षेत्र	140 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह
शहरी क्षे़त्र	200 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह

(पप) 100 यूनिट्स से अधिक प्रति माह

ग्रामीण क्षेत्र	180 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह
शहरी क्षे़त्र	240 रूपये प्रति सम्बन्ध प्रति माह

(प्प्) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन अधिकतम मांग 50 केवीए तक (एलटी आपूर्ति)

ग्रामीण क्षेत्र	180 रूपये प्रति माह प्रति किलोवाट स्वीकृत सम्बद्ध भार का
शहरी क्षेत्र	180 रूपये प्रति माह प्रति किलोवाट स्वीकृत सम्बद्ध भार का

(ई) पावर फैक्टर क्लॉज :

(ए)(1) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(2) ऐसे उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक है,उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) या इससे अधिक रखने के लिये मोटर की हार्सपावर के 50ः की केवीएआर क्षमता के केपेसिटर नहीं लगा रखा हो अथवा यदि लगा भी रखा हो परन्तु सही कार्य नही कर रहा हो तो, केपेसिटर के खराब रही अवधि में बिल की गई राशि की 3ः राशि सरचार्ज के रूप में वसूल की जायेगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से, अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम

उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(4) उपभोक्ताओं से उपरोक्तानुसार प्रभारित अधिभार की राशि की गणना न्यूनतम बिलिंग के लिए नहीं की जाएगी।

(ए) इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90:)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90:) से नीचे गिरने के मामले मे, औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1:)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95:)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1:) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70:) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(एए) सार्वजनिक सड़क प्रकाश (अनुसूची पीएसएल/एलटी–3)

(ए)प्रयोज्यता

सरकारी और स्थानीय निकाय को सड़क प्रकाश प्रणाली और यातायात नियंत्रण प्रणाली हेतु नगरपालिकाओं , पंचायतों, औद्योगिक क्षेत्रों और सार्वजनिक उद्यानों में प्रकाश हेतु उपलब्ध होगी , लेकिन निजी कॉलोनियों में ऐसी आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी ।

(बी) सेवा की प्रकृति :
ए.सी 50 हर्ट्ज, एलटी सिंगल फेज 230 वो. या थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार की दर

(1) स्थायी प्रभार :

(प) 1 लाख से कम जनसंख्या वाली पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों में	30 रूपये प्रति पाइन्ट प्रति माह लेकिन अधिकतम 300 रू प्रति कनेक्शन
(पप) 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्रों में	45 रूपये प्रति पाइन्ट प्रति माह लेकिन अधिकतम 900 रू प्रति कनेक्शन

एवं

(2) ऊर्जा प्रभार ’

(1) 1 लाख से कम जनसंख्या वाली पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों में	350 पैसे प्रति यूनिट
(2) 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्रों में	375 पैसे प्रति यूनिट

’ पंचायतों और नगरपालिकाओं में जहॉ सड़क प्रकाश को दिन में बन्द करने के लिए टाईम स्विच (टाईमर) अधिव्यापित किया हुआ है और वह पूरे माह चालू हालत में है, तो 30 पैसे/यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

टिप्पणियॉ :–

(1) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(2) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत कनेक्शन एचटी(11 केवी या 33 केवी) पर दिया जाता है तो बिल की गई राशि (ठपससमक ंउवनदज)पर 7.5 प्रतिशत की छूट देय होगी

(3) जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3ःकी वृद्धि की जाएगी।

(डी) शन्ट केपिसिटर का अधिव्यापन :

(1) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(2) ऐसे उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किवा.) तक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) या इससे अधिक रखने के लिये मोटर की हार्सपावर के 50ः की केवीएआर क्षमता के केपेसिटर नहीं लगा रखा हो अथवा यदि लगा भी रखा हो परन्तु सही कार्य नहीं कर रहा हो तो, केपेसिटर के खराब रही अवधि में बिल की गई राशि की 3ः राशि सरचार्ज के रूप में वसूल की जायेगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से, अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(प्ट) कृषि सेवा (अनुसूची एजी /एलटी–4)

इस अनुसूची के अधीन नए कनेक्शन केवल मीटर्ड आपूर्ति (अनुसूची एजी/एम एस/एलटी–4) के अधीन जारी किये जाएगें।

(ख) मीटर्ड आपूर्ति (अनुसूची एजी/एमएस/एलटी–4)

(ए) प्रयोज्यता :

पम्पिंग सेट्स कृषि उद्देश्यों हेतु, सरकारी/स्थानीय निकाय के पब्लिक गार्डन्स , सामुदायिक एवं सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजना (कृषि कार्य हेतु सीवेज पम्पिंग एवं फिशरीज के काम में ली जा रही है। हैचरीज के अलावा पॉल्ट्री फार्म को भी उपलब्ध होगी,यदि पॉल्ट्री फार्म के लिए अलग से कनेक्शन लिया हुआ है और उससे विद्युत उपभोग विशिष्टितः पॉल्ट्री फार्मिग के लिये ही हो ।

(बी) सेवा की प्रकृतिः

ए.सी 50 हर्ट्ज ,थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार की दर

1. स्थायी प्रभार : 50 रूपये प्रति कनेक्शन प्रति माह

एवं

2. ऊर्जा प्रभार :

क्रमाक श्रेणी	दर
(प) सामान्य श्रेणी(जिन्हें रात–दिन सप्लाई नहीं मिल रही हो)	110 पैसे प्रति यूनिट
(पप) फार्म हाउस	340 पैसे प्रति यूनिट
(पपप) उपरोक्त मद (प)एवं (पप) में नहीं समाहित सभी कनेक्शन जिन्हें रात–दिन सप्लाई मिल रही है, और पॉल्ट्री फार्म	210 पैसे प्रति यूनिट

मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार

प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2: विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(डी)न्यूनतम बिलिंगः

क्रंमाक श्रेणी	न्यूनतम बिलिंग प्रभार
(प) सामान्य श्रेणी कनेक्शन (जिन्हें रात–दिन सप्लाई नहीं दी जा रही हो)	85 / – रू.प्रति हार्सपावर प्रतिमाह
(पप) फार्म हाऊस	320 / –रू प्रति हार्सपावर प्रतिमाह
(पपप) उपरोक्त मद (प)एवं (पप) में नहीं समाहित सभी कनेक्शन एवं जिन्हें रातदिन सप्लाई दी जा रही हो और पॉल्ट्री फार्मस ।	200 / –रू प्रति हार्सपावर प्रति माह

न्यूनतम बिलिंग मासिक आधार पर की जायेगी और वार्षिक आधार पर समायोजित होगी।

सामान्यतया उपरोक्त न्यूनतम बिलिंग ,स्वीकृत सम्बद्ध भार के आधार पर की जाएगी। यदि किसी समय जॉच के दौरान यह पाया जाता है कि अधिव्यापित भार, स्वीकृत सम्बद्ध भार से अधिक है, तो ऐसा बढा हुआ उच्च भार न्यूनतम बिलिंग के लिए स्वीकार किया जाएगा और तदानुसार वसूल किया जाएगा जो जोधपुरडिस्कॉम द्वारा आपूर्ति की सामान्य शर्तो के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही के अधिकार को बिना पूर्वाग्रह के होगा।

टिप्पणी :–

(ए) मीटर्ड आपूर्ति शुल्कदर (टेरिफ) के उपभोक्ताओं को अनुमति होगी :–

(प) पम्प के समीप पावर परिपथ में, दो लैम्प पाईन्टस जो सकल 60 वाट से अधिक नहीं होंगे और इसका उपभोग उक्त दरों से प्रभारित होगा। इन लैम्प पाईन्ट्स का भार सम्बद्ध भार में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह 60 वाट से अधिक नहीं होंगे। इस स्वीकृत 60 वाट से अधिक वाटेज की गणना न्यूनतम बिलिंग के लिए कुल सम्बद्ध भार निर्धारण के लिए की जाएगी।

(पप) थ्रेशर और चाफ कटिंग मशीन अपने स्वयं के उपयोग हेतु , उसी सेवा सम्बन्ध से जिस पर पम्प उपयोग हो रहा है, को काम में लेने की अनुमति होगी, बशर्ते ऐसा प्रर्वतन कृषि की सहायक कार्यवाही के रूप में ,पम्प से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर न हो। यद्यपि थ्रेशर और चाफ कटिंग मशीन का भार बिलिंग उद्देश्य हेतु,सम्बद्ध भार के लिए नहीं किया जाएगा ।

(बी) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत कनेक्शन एचटी(11 केवी या 33 केवी) पर दिया जाता है तो बिल की गई राशि (ठपससमक ंउवनदज)पर 7.5 प्रतिशत की छूट देय होगी ।

(सी) जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3ःकी वृद्धि की जाएगी।

(ई) शन्ट केपिसिटर का अधिव्यापन

(1) 3 हार्स पावर से अधिक कोई भी नया सम्बन्ध तब तक नही दिया जाएगा ,जब तक मोटर की हार्स पावर के 50ः की केवीएआर क्षमता के शन्ट केपेसिटर जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक अधिव्यापित नहीं किया जाता। उपभोक्ता , मानक उत्पादकों द्वारा उत्पादित और आई एस आई विशिष्ट चिन्ह वाले ही शन्ट केपिसिटर्स का अधिव्यापन करेगा ।

(2) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(3) यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाए कि उपभोक्ता ने केपिसिटर का अधिव्यापन नहीं किया है और यदि अधिव्यापित किया है, तो यह अपर्याप्त क्षमता का है या सही स्थिति में नहीं है तो उपभोक्ता से ऐसे निरीक्षण के समय से सही क्षमता का केपिसिटर अधिव्यापन करने तक की बिल राशि का 3ः मासिक आधार पर अधिभार लिया जाएगा एवं इसे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा चैक/निरीक्षण करवाया गया हो। वर्तमान में विद्यमान उपभोक्ताओं को इसके लिए तीन माह का नोटिस दिया जायेगा।

(4) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से , अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(5) उपभोक्ताओं से उपरोक्तानुसार प्रभारित अधिभार की राशि की गणना न्यूनतम बिलिंग के लिए नहीं की जाएगी।

(ठ) समान दर टेरिफ (फ्लेट रेट टेरिफ)(अनुसूची एजी/एफआर/एलटी–4):

(ए) प्रयोज्यता :

पम्पिंग सेट्स को कृषि उद्देश्यों हेतु, सरकारी/स्थानीय निकाय के पब्लिक गार्डन्स,सामुदायिक एवं सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु उपलब्ध होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी. 50 हर्ट्ज थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार की दर

(1) स्थायी प्रभार : 20 रू. प्रति सम्बन्ध प्रति माह

(2) ऊर्जा प्रभार

क्रमाक	श्रेणी	दर
(प)	सामान्य श्रेणी कनेक्शन (जिन्हें रात–दिन सप्लाई नहीं दी जा रही हो)	140/– रू.प्रति हार्सपावर प्रतिमाह

(पप) विशेष चारा योजना 200/–रू प्रति हार्सपावर प्रतिमाह

(पपप) उपरोक्त मद (प)एवं (पप) में नहीं समाहित 230/–रू प्रति हार्सपावर प्रतिमाह
सभी कनेक्शन एवं जिन्हें रातदिन
सप्लाई दी जा रही हो

(डी) भुगतान

मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

समान दर प्रभार ,स्वीकृत सम्बद्ध भार के आधार पर वसूला जाएगा । यदि किसी समय यह पाया जाता है कि अधिव्यापित भार, स्वीकृत सम्बद्ध भार से अधिक है तो इसे चोरी की कार्यवाही माना जाएगा और आपूर्ति की सामान्य शर्तो के अन्तर्गत प्रभारित किया जाएगा ।

टिप्पणी :–

(ए) समान दर आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं को अनुमति होगीः–

(प) पम्प के समीप पावर परिपथ में, दो लैम्प पाईन्टस जो सकल 60 वाट से अधिक नहीं होंगे और इसका उपभोग उक्त दरों से प्रभारित होगा। इन लैम्प पाईन्ट्स का भार सम्बद्ध भार में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह 60 वाट से अधिक नहीं होंगे। इस स्वीकृत 60 वाट से अधिक वाटेज की गणना समान दर प्रभार का कुल सम्बद्ध भार निर्धारण के लिए की जाएगी।

(पप) थ्रेशर और चाफ कटिंग मशीन अपने स्वयं के उपयोग हेतु , उसी सेवा सम्बन्ध से जिस पर पम्प उपयोग हो रहा है, को काम में लेने की अनुमति होगी, बशर्ते ऐसा

प्रर्वतन कृषि की सहायक कार्यवाही के रूप में ,पम्प से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर न हो। यद्यपि थ्रेशर और चाफ कटिंग मशीन का भार , बिलिंग उद्देश्य हेतु सम्बद्ध भार के लिए नहीं किया जाएगा ।

(बी) समान दर उपभोक्ताओं को उपरोक्त प्रयोज्यता के अनुसार विशिष्टतः सदाशयी उपभोग हेतु उपलब्ध होगी। दूसरों को सिंचाई या अन्य दूसरे उद्देश्यों हेतु या जमीन में फसल की हिस्सेदारी अपने स्वयं के अलावा या किसी दूसरे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ/प्राप्ति हेतु पानी की बिक्री या भले ही मुफ्त आपूर्ति, को पूर्णतः निषिद्ध किया जाता है, और इसका उल्लंधन या दुरूपयोग उच्च दर का कारण होगा और उपभोक्ता को उपरोक्त विर्निर्दिष्ट दर का दुगना प्रभार देना होगा। ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन काटने के अलावा , यह दुगना प्रभार तब तक जारी रहेगा जब तक कि उपभोक्ता जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक विद्युत ऊर्जा का दुरूपयोग बन्द नहीं करता ।

इसी प्रकार कोई उपभोक्ता , विद्युत ऊर्जा का स्वीकृत प्रयोज्यता के अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु करता हुआ पाया जाएगा तो उसका सम्बन्ध विच्छेद करने के अलावा नियमों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही का भागीदार होगा एवं उससे शुल्क दर/टैरिफ का दुगना प्रभार लिया जाएगा।

(सी) समान शुल्क दर के अधीन वर्ष में आपूर्ति के घंटों की संख्या 1620 घंटे हैं।

(इ) शन्ट केपिसिटर का अधिव्यापन

(1) 3 हार्स पावर से अधिक कोई भी नया सम्बन्ध तब तक नही दिया जाएगा ,जब तक मोटर की हार्स पावर के 50ः की केवीएआर क्षमता के शन्ट केपेसिटर जोधपुर डिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक अधिव्यापित नहीं किया जाता। उपभोक्ता , मानक उत्पादकों द्वारा उत्पादित और आई एस आई विशिष्ट चिन्ह वाले ही शन्ट केपिसिटर्स का अधिव्यापन करेगा ।

(2) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(3) यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाए कि उपभोक्ता ने केपिसिटर का अधिव्यापन नहीं किया है और यदि अधिव्यापित किया है, तो यह अपर्याप्त क्षमता का है या सही स्थिति में नहीं है तो उपभोक्ता से ऐसे निरीक्षण के समय से सही क्षमता का केपिसिटर अधिव्यापन करने तक की बिल राशि का 3ः मासिक आधार पर अधिभार लिया जाएगा एवं इसे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा चैक/निरीक्षण करवाया

गया हो। वर्तमान में विद्यमान उपभोक्ताओं को इसके लिए तीन माह का नोटिस दिया जायेगा।

(4) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से , अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(5) उपभोक्ता से उपरोक्तानुसार प्रभारित अधिभार की गणना,समान दर प्रभार के लिए नहीं की जाएगी।

(ट) लघु औद्योगिक सेवा (अनुसूची एसपी/एलटी–'5)

(ए) प्रयोज्यता :

यह शुल्क दर , लधु औद्योगिक उपभोक्ताओं ,प्रिटिंग प्रेसेज ,सरकारी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, कॉटेज इन्डस्ट्रीज (जैसे जरी मेंकिग , सिल्वर और गौल्ड वायर ड्राईंग, जेम स्टोन्स पॉलिशिंग, हेचरीज ,रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पानी की आपूर्ति ,सार्वजनिक जल आपूर्ति वर्क्स , ट्रस्ट, स्थानीय निकाय द्वारा पानी की सप्लाई,सीपेज पानी का इंगानप द्वारा वापस पम्प बैक करना, हैण्डीक्राफ्ट, टेक्सटाईल्स,डाईंग और प्रिटिंग उद्योग , कोल्ड स्टोरेज,सॉफ्टवेअर यूनिट्स एवं आटा चक्की, मय सहयोगी प्रकाश भार जो औद्योगिक भार की 10 : सीमा के विषयगत होगा और सकल सम्बद्ध भार मय प्रकाश भार सहित 18.65 कि.वा. या 25 हार्सपावर से अधिक नही होगा, पर लागू होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी 50 हर्ट्ज निम्नलिखित सप्लाई वोल्टेज

(प) सम्बद्ध भार 5 किवा तक	एलटी सिंगल फेज 230 वो. या थ्री फेज 400 वो. उपभोक्ता के विकल्प पर
(पप) सम्बद्ध भार 5 किवा.से अधिक लेकिन (18.65 किवा.) 25 हा.पा. से अधिक नहीं ।	एलटी थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार की दर :

---

(1) <u>स्थायी प्रभार</u> 35 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति माह स्वीकृत सम्बद्ध भार पर

एवं

(2) <u>ऊर्जा प्रभार</u> 350 पैसे प्रति यूनिट

टिप्पणियॉः

(प) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः(दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ःविलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(पप) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत कनेक्शन एचटी (11 केवी या 33 केवी) पर दिया जाता है तो बिल की गई राशि (ठपससमक ंउवनदज)पर 7.5 प्रतिशत की छूट देय होगी ।

(पपप) जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3ःकी वृद्धि की जाएगी।

(डी) न्यूनतम बिलिंग : 135/– रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह स्वीकृत सम्बद्ध भार पर

मौसमी उद्योगों की बिलिंग मौसमी होगी अर्थात 8 माह प्रति मौसम (8 गन्यूनतम बिलिंग प्रतिमाह) ।

मौसमी न्यूनतम बिलिंग राशि को 8 से विभाजित करके प्रतिमाह अथवा उस माह में वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो , के आधार पर मासिक बिलिंग की जायेगी। य़द्यपि जो मासिक चार्जेज वसूल किये गये हैं उनका समायोजन इस मौसम कें ''मौसमी न्यूनतम बिलिंग '' राशि में किया जायेगा ।

(इ) शन्ट केपसिटर का अधिव्यापन :

(1) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(2) ऐसे उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किवा) तक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90:) या इससे अधिक रखने के लिये मोटर की हार्सपावर के 50: की केवीएआर क्षमता के केपेसिटर नहीं लगा रखा हो अथवा यदि लगा भी रखा हो परन्तु सही कार्य नही कर रहा हो तो, केपेसिटर के खराब रही अवधि में बिल की गई राशि की 3: राशि सरचार्ज के रूप में वसूल की जायेगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नही लगाने से, अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(4) उपभोक्ताओं से उपरोक्तानुसार प्रभारित अधिभार की राशि की गणना न्यूनतम बिलिंग के लिये नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :–

यद्यपि ,यदि प्रकाश भार 10: की सीमा में है लेकिन कुल भार मय औद्योगिक भार 25 हार्सपावर से अधिक है,तब उपभोक्ता या तो मध्यम औद्योगिक श्रेणी के अधीन आयेगा या वह अघरेलू श्रेणी के अधीन अलग से कनेक्शन ले सकता है। इसी

प्रकार यदि प्रकाश भार 10ः की सीमा से अधिक है,लेकिन कुल भार 25 हार्सपावर की सीमा में है,तब भी वह अघरेलू श्रेणी के अधीन अलग सम्बन्ध ले सकता है।

(टप्) मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एलटी– 6)

(ए) प्रयोज्यता :

यह शुल्क दर (टैरिफ), औद्योगिक ऊर्जा उपभाक्ताओं ,प्रिंटिंग प्रेसेज,सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पानी आपूर्ति और सार्वजनिक जल आपूर्ति वर्क्स, ट्रस्ट / स्थानीय निकाय द्वारा पानी की सप्लाई, सीपेज पानी का इगांनप द्वारा वापस पम्प बैक करना, हैण्डीक्राफ्ट ,टेक्सटाईल, डाईग और प्रिंटिंग उद्योगों को , कोल्ड स्टोरेज ,सॉफ्टवेअर यूनिट्स एवं आटा चक्की, जिनका सकल स्वीकृत सम्बद्ध भार (18.65 कि.वा.)25 हार्स पावर से अधिक लेकिन स्वीकृत सम्बद्ध भार 150 हार्सपावर एवं /या अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक नहीं है, पर लागू होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :
ए.सी. 50 हर्ट्ज ,एल.टी, थ्री फेज ,400 वो.

(सी) प्रभार की दर :

1. स्थायी प्रभार	50 रूपये प्रति हार्स पावर,प्रतिमाह स्वीकृत सम्बद्ध भार पर
एवं	
2. ऊर्जा प्रभार	375 पैसे प्रति यूनिट

मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान

अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(डी) न्यूनतम बिलिंग — 165 रू. प्रति हार्स पावर स्वीकृत सम्बद्ध भार पर प्रति माह

मौसमी उद्योगों की बिलिंग मौसमी होगी अर्थात 8 माह प्रति मौसम (8 गन्यूनतम बिलिंग प्रतिमाह) ।

मौसमी न्यूनतम बिलिंग राशि को 8 से विभाजित करके प्रतिमाह अथवा उस माह में वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो , के आधार पर मासिक बिलिंग की जायेगी। य़द्यपि जो मासिक चार्जेज वसूल किये गये हैं उनका समायोजन इस मौसम कें ''मौसमी न्यूनतम बिलिंग '' राशि में किया जायेगा ।

टिप्पणी :—

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता यदि एच टी सप्लाई चाहता है तो उसकी स्वीकृति दी जा सकेगी तथा उस पर अनुसूची डच्ध्म्ॅ.3 लागू होगी। तदानुसार उपभोक्ता को अपनी मांग दर्शानी होगी ।

(इ) पावर फैक्टर क्लॉज

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90:)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90:) से नीचे गिरने के मामले मे, औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1:)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95:)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1:) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70:) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(टप्प्) मिश्रित भार की प्रचुर आपूर्ति (अनुसूची एमएल / एलटी–7)

(ए)प्रयोज्यता :

अनाथालयों, कुष्ठगृह, यतीमखानों , समाजकल्याण विभाग या अन्य दूसरे सरकारी प्राधिकारी द्वारा अपंजीकृत /अमान्यता प्राप्त , मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों , रेल्वे, रेडियो स्टेशन ,टेलीविजन स्टेशन्स मय ट्रांसमीटर्स , छावनियों, भारत दूर संचार निगम (ठैछस्)के दूरभाष केन्द्र एवं उसके साथ लगे उनके ऑफिस , रक्षा संस्थानों, हवाई अड्डों और सरकारी /रेडक्रास सोसायटी/ ट्रस्ट /सहकारी संस्थानों द्वारा संचालित अस्पताल, डिस्पेन्सरीज,क्लिनिक्स एवं नर्सिग होम्स की सदाशयी प्रकाश उपभोग , हीटिंग ,पम्पिंग, सड़क, इन्हीं से सम्बन्धित प्रकाश इत्यादि और 500 हार्स पावर सम्बद्ध भार तक वाले औद्योगिक भार को उपलब्ध होगी।

टिप्पणी :

1. उक्त अनुसूची एक सम्बद्ध क्षेत्र संस्थान जिसे सार्वजनिक सड़को में विभाजित न किया हुआ हो पर लागू होगी ।
2. अगर कोई उपभोक्ता एक क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता की सुविधा हेतु,एक से अधिक बिन्दु (पॉइन्ट) रखता है, तो ऐसे सभी बिन्दुओं (पॉईन्ट्स) का उपभोग बिलिंग उद्देश्य हेतु जोड़ा जाएगा ।
3. आन्तरिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता की होगी जिसका संधारण करना प्रत्येक उपभोक्ता की मीटर रीडिंग लेना, बिल जारी करने और राजस्व संग्रहण के कार्य उपभोक्ता को स्वयं करना होगा।
4. इस श्रेणी में से यदि किसी प्रकार का सम्बद्ध भार(स्वंक) अलग किया जाता है तो बचे हुए सम्बद्ध भार में जिस श्रेणी का भार(स्वंकद्ध सबसे ज्यादा प्रभावी(क्वउपदंदजद्ध होगा उसी श्रेणी की विद्युत अनुसूची(बीमकनसमद्ध लागू की जायेगी। यदि बचे हुए विद्युत भार में जिस श्रेणी का भार 75 प्रतिशत या इससे अधिक होगा उसी श्रेणी की विद्युत अनुसूची लागू की जायेगी। लेकिन यदि किसी भी श्रेणी का भार इस सीमा तक अधिक नहीं होगा तो बचे हुए विद्युत भार (स्वंकद्ध पर '' मिश्रित भार की प्रचुर आपूर्ति (अनुसूची एमएल / एलटी–7)''श्रेणी की विद्युत अनुसूची लागू होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी 50 हर्ट्ज , निम्नांकित आपूर्ति वोल्टेज पर

1. 5 कि.वा. सम्बद्ध भार तक	एलटी सिंगल फेज 230 वो. या थ्री फेज 400 वो. उपभोक्ता के विकल्प पर
2. 5 कि.वा. से अधिक सम्बद्ध भार से अधिक लेकिन अधिकतम मांग 50 केवीए तक के लिए	एल टी , थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभार की दर

1. स्थायी प्रभार	50 रूपये प्रति एच पी स्वीकृत सम्बद्ध भार पर प्रति माह
एवं	
2.ऊर्जा प्रभार	375 पैसे प्रति यूनिट

मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

टिप्पणी :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता यदि एच टी सप्लाई चाहता है तो उसकी स्वीकृति दी जा सकेगी तथा उस पर अनुसूची डस्भ्ज.4 लागू होगी। तदानुसार उपभोक्ता को अपनी मांग दर्शानी होगी ।

(डी) न्यूनतम बिलिंग

क्रंमाक विवरण	चार्जेज
1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान	स्वीकृत सम्बद्ध भार पर 55 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह
2. दूसरे समस्त	स्वीकृत सम्बद्ध भार पर 110 रू. प्रति किलावाट प्रति माह

(इ) पावर फैक्टर क्लॉज :—

(प)(1) उपभोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने केपिसिटर को सही स्थिति में रखें और इसके जलने या खराब होने पर तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करें। केपिसिटर के खराब होने के अधिकाधिक एक माह की अवधि में वह इसके दोष दूर करवाए और इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को दी जानी चाहिए।

(2) ऐसे उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक है,उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90:) या इससे अधिक रखने के लिये मोटर की हार्सपावर के 50: की केवीएआर क्षमता के केपेसिटर नहीं लगा रखा हो अथवा यदि लगा भी रखा हो परन्तु सही कार्य नहीं कर रहा हो तो, केपेसिटर के खराब रही अवधि में बिल की गई राशि की 3: राशि सरचार्ज के रूप में वसूल की जायेगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा निरन्तर 6 माह तक पर्याप्त क्षमता का शन्ट केपिसिटर नहीं लगाने से, अधिभार का भुगतान करने के उपरान्त भी जोधपुरडिस्कॉम उपभोक्ता के विरूद्ध अन्य दूसरी कार्यवाही के अलावा सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार भी रखता है।

(4) उपभोक्ताओं से उपरोक्तानुसार प्रभारित अधिभार की राशि की गणना न्यूनतम बिलिंग के लिए नहीं की जाएगी।

(पप) इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90:)से

कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90:) से नीचे गिरने के मामले मे, औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1:)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95:)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1:) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70:) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

शुल्क दर (टैरिफ) संरचना

भाग – प्ट
एच टी टैरिफ

सामान्यः

इस भाग में एच.टी सप्लाई एवं अनुबन्ध मांग (बवदजतंबज कमउंदक) आधार की टैरिफ है। इस भाग की टैरिफ उन उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी जिनकी अनुबन्ध मांग /अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक होगी अथवा जो एच.टी. आपूर्ति लेना चाहते हैं एवं मांग (कमउंदक) आधार पर बिल करने का विकल्प देते हैं।
अनुबन्ध मांग आधार टैरिफ , 11 के.वी सप्लाई वाली टैरिफ के लिये है। यदि उपभोक्ता निम्नांकित वोल्टेज पर आपूर्ति लेता है अथवा निगम द्वारा दी जाती है तो उस माह की बिल की राशि में निम्नलिखित छूट प्रदान की जायेगी। यद्यपि ऐसी छूट, पावर फैक्टर क्लॉज का उल्लंघन करने पर वसूल की गई अधिभार की राशि पर स्वीकार्य नहीं होगी :–

33,000 वोल्ट्स	0.75:
66,000 वोल्ट्स	1.50:
1,32,000 वोल्ट्स	2.50:
2,20,000 वोल्ट्स	5.00:

2. विर्निदिष्ट निर्धारित वोल्टेज (ैजंदकंतक च्तमेबतपइमक टवसजंहमे)

क्रंमाक	अनुबन्ध मांग	प्रदाय का वोल्टेज
1	1500 केवीए तक	11 के.वी.
2.	1500 केवीए से अधिक एवं 5000 केवीए तक	33 के.वी.
3.	5000 केवीए से अधिक	132 केवी या 220 केवी

(प) घरेलू सेवा (अनुसूची डीएस/एचटी–1)

(ए) प्रयोज्यता

किसी भी प्रकार के संगठन के आवासीय कॉलोनीज को सदाशयी घरेलू उपयोग जैसे प्रकाश ,पंखे ,रेडियों ,टेलीविजन, हीटर्स,कुकर्स,रेफ्रीजेटर्स मय पम्पस,ग्राइन्डर्स और दूसरे घरेलू उपकरणों हेतु उपलब्ध होगी। पानी आपूर्ति हेतु 5 किलोवाट पम्पिंग भार और अधिकतम पॉच दुकानों तक इस शुल्क दर के अधीन प्रभार हेतु स्वीकार्य होगी।

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी अनुबन्ध मांग((बवदजतंबज कमउंदक) 50 केवीए से कम भी रख सकता है।

टिप्पणी :

1. उक्त अनुसूची एक सम्बद्ध क्षेत्र संस्थान जिसे सार्वजनिक सड़को में विभाजित न किया हुआ हो पर लागू होगी ।
2. अगर कोई उपभोक्ता एक क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता की सुविधा हेतु,एक से अधिक बिन्दु (पॉइन्ट) रखता है, तो ऐसे सभी बिन्दुओं (पॉईन्ट्स) का उपभोग बिलिंग उद्देश्य हेतु जोडा जाएगा ।
3. आन्तरिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता की होगी जिसका संधारण करना प्रत्येक उपभोक्ता की मीटर रीडिंग लेना, बिल जारी करने और राजस्व संग्रहण के कार्य उपभोक्ता को स्वयं करना होगा।

(बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी. 50 हर्ट्ज , ईएचटी के अलावा निम्नांकित दर्शाए आपूर्ति वोल्टेज परः–

(प) 1500 केवीए तक अनुबन्ध मांग	11 केवी
(पप) 1500 केवीए से अधिक अनुबन्ध मांग	33 केवी

(सी) प्रभार की दर :

(1) <u>स्थायी प्रभार</u> : 100 रू प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड का प्रतिमाह

एवं

ऊर्जा प्रभार 300 पैसे प्रति यूनिट

. उपभोक्ता अपनी अनुबन्धित मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि किसी विशेष माह में वह अपनी अनुबन्धित मांग से 105ः अधिक मांग करता है, तो सम्बन्ध विच्छेद के अलावा उसे स्थायी और ऊर्जा प्रभार के समान अनुपात में अतिरिक्त प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) अदा करना होगा जिस अनुपात में उसने अतिरिक्त मांग वास्तविकता में उपयोग में ली है ।

उदाहरण

यदि अनुबन्धित मांग 1000 केवीए है, और वास्तविक मांग एक मास में 1200 केवीए है तो उस मास के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) का अतिरिक्त प्रभार 20ः होगा ।

टिप्पणियॉ :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों के घरेलू कनेक्शनों के मामले में ऊर्जा प्रभार में 10ः की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि रात–दिन विद्युत प्रदाय की जा रही हो तो वह 10ः की छूट देय नहीं होगी।
2. मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात् 18 दिन में नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।
3. जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है ओर ऐसे मामलों की ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों एवं मांग में 3ः की वृद्धि की जाएगी।

(डी) पावर फैक्टर क्लॉज :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना

होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90:)से नीचे गिरने के मामले में ,औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1:)की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का अधिभार वसूला जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95(95:)से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.01(1:)के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1: का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।

औसत पावर फैक्टर 0.70(70:)से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा,जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोश्रप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(प्प) अघरेलू सेवा (अनुसूची एनडीएस/एचटी–2)

(ए) प्रयोज्यता :

अघरेलू आपूर्ति में वे सभी श्रेणीयॉ शामिल होंगी जिन्हें दूसरे शुल्क दर (टैरिफ) अनुसूची के भाग –प्प में शमिल नहीं किया गया है, जो निम्नांकित हैः–

डीएस/एचटी–1, एमपी/एचटी–3, एम एल/एचटी–4, एलपी/एचटी –5

वाणिज्यिक और अधरेलू संस्थानों जैसे दुकानें ,व्यापार हाऊस ,पूजास्थल ,ऐसे छात्रावास जहॉ सिर्फ सदाशयी घरेलू उपयोग नहीं हों, ऐसी धर्मशालाएं जो पंजीकृत चेरीटेबल ट्रस्ट या संस्थाओं द्वारा संचालित नहीं है एवं वहॉ पर रहने, पानी व बिजली निशुःल्क उपलब्ध नहीं हो , होटल्स ,रेस्टोरेन्टस पेट्रोल पम्पस, सर्विस स्टेशन्स, गैरेज, ऑडिटोरियम्स, सिनेमा ,निजी अस्पताल,नर्सिग होम्स,डिस्पेन्सरीज, और डाक्टर्स के क्लिनिक जो निजी आधार पर चलाए जाते है, अमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान भारत दूर संचार निगम लिमिटेड (ठैछस्) के अलावा अन्य दूरभाष केन्द्र के ऑफिस जो उनके दूरभाष केन्द्र के साथ ना हो , विवाह स्थल , जोजोबा कल्टीवेशन , गौशालाए एवं और नर्सरीज इत्यादि घरेलू परिसर का वह भाग जहॉ वाणिज्यिक या अधरेलू संस्थानों के व्यापार का कार्य होता हो तथा वकीलों के ऑफिस जो उनके घर में स्थित ना हो में प्रकाश, पंखें, हीटींग और ऊर्जा की आपूर्ति इसमें शामिल हैं ।

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी अनुबन्ध मांग (ब्वदजतंबज क्मउंदक)50 केवीए से कम भी रख सकता है ।

(बी) सेवा की प्रकृति ’

ए.सी. 50 हर्ट्ज , वोल्टेज पर जो नीचे दर्शाया गया है :–

(प) अनुबन्ध मांग 1500 केवीए तक — एच टी, 11 केवी
(पप)अनुबन्ध मांग 1500 केवीए से अधिक — एच टी ,33 केवी
एवं 5000 केवीए तक
(पपप) अनुबन्ध मांग 5000 केवीए से अधिक — ईएचटी,132 केवी या 220 केवी

(सी) प्रभार दर :

(प) स्थायी प्रभार : 60 रू प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड का प्रतिमाह

एवं

(2) ऊर्जा प्रभार

(प) प्रथम 100 यूनिट्स प्रति माह	450 पैसे प्रति यूनिट
(पप) 100 यूनिट्स से अधिक प्रति माह	490 पैसे प्रति यूनिट

उपभोक्ता अपनी अनुबन्धित मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि किसी विशेष माह में वह अपनी अनुबन्धित मांग से 105 :अधिक मांग करता है, तो सम्बन्ध विच्छेद के अलावा उसे स्थायी और ऊर्जा प्रभार के समान अनुपात में अतिरिक्त प्रभार (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) अदा करना होगा जिस अनुपात में उसने अतिरिक्त मांग वास्तविकता में उपयोग में ली है ।

<u>उदाहरण</u>

यदि अनुबन्धित मांग 1000 केवीए है, और वास्तविक मांग एक मास में 1200 केवीए है तो उस मास के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर)का अतिरिक्त प्रभार 20: होगा ।

टिप्पणियां :–

(प) जोजोबा कल्टीवेशन एवं गोशालाओं के लिए समस्त उपभोग इस अनुसूची की शुल्क दर की आधी ली जाएगी। यद्यपि स्थायी प्रभार पूरा लिया जायेगा।

(पप) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(पपप) जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रासफारमर के लो वोल्टेज साईड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लासेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों एवं मांग में 3ः की वृद्धि की जाएर्गी।

(डी) न्यूनतम बिलिंग 220 रू प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड का प्रतिमाह

(ई) पावर फैक्टर क्लॉज :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) से नीचे गिरने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1ः)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95ः)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1ः) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70ः) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुर डिस्कॉंम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(प्प्) मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी / एचटी–3)

(अ) प्रयोज्यता :

यह शुल्क दर (टैरिफ), औद्योगिक ऊर्जा उपभाक्ताओं ,प्रिंटिंग प्रेसेज,सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पानी आपूर्ति और सार्वजनिक जल आपूर्ति वर्क्स, ट्रस्ट / स्थानीय निकाय द्वारा पानी की सप्लाई, सीपेज पानी का इगांनप द्वारा वापस पम्प बैक करना, हैण्डीक्राफ्ट ,टेक्सटाईल, डांईग और प्रिंटिंग उद्योगो को कोल्ड स्टोरेज ,सॉफ्टवेअर यूनिट्स एवं आटा चक्की, जिनका सकल स्वीकृत सम्बद्ध भार (18.65)कि.वा. 25 हार्स पावर से अधिक लेकिन स्वीकृत सम्बद्ध भार 150 हार्सपावर एवं /या अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक नहीं है, पर लागू होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :

एचटी , 11 केवी /33 केवी

(सी) प्रभार की दरः

1. स्थायी प्रभार	80 रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग पर प्रति माह
एवं	
2.ऊर्जा प्रभार	375 पैसे प्रति यूनिट

(1) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(2) उपभोक्ता अपनी अनुबन्धित मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि किसी विशेष माह में वह अपनी अनुबन्धित मांग से 105 अधिक मांग करता है, तो सम्बन्ध विच्छेद के

अलावा उसे स्थायी और ऊर्जा प्रभार के समान अनुपात में अतिरिक्त प्रभार (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी) और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) अदा करना होगा जिस अनुपात में उसने अतिरिक्त मांग वास्तविकता में उपयोग में ली है।

उदाहरण

यदि अनुबन्धित मांग 1000 केवीए है, और वास्तविक मांग एक मास में 1200 केवीए है तो उस मास के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर)का अतिरिक्त प्रभार 20ः होगा ।

(डी) न्यूनतम बिलिंग : 275 रू प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड का प्रति माह

मौसमी उद्योगों की बिलिंग मौसमी होगी अर्थात 8 माह प्रति मौसम (8 गन्यूनतम बिलिंग प्रतिमाह) ।

मौसमी न्यूनतम बिलिंग राशि को 8 से विभाजित करके प्रतिमाह अथवा उस माह में वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो , के आधार पर मासिक बिलिंग की जायेगी। य़द्यपि जो मासिक चार्जेज वसूल किये गये हैं उनका समायोजन इस मौसम कें ''मौसमी न्यूनतम बिलिंग '' राशि में किया जायेगा ।

टिप्पणी :

जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफारमर की लो वोल्टेज साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है, और ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु, अभिलिखित यूनिटों एवं मांग में 3ः की वृद्धि की जाएगी।

(ई) पावर फैक्टर क्लॉज :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) से नीचे गिरने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1ः)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95ः)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1ः) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70:) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(प्ट) मिश्रित भार की प्रचुर आपूर्ति (अनुसूची एम एल/एचटी–4)

(ए) प्रयोज्यताः

अनाथालयों, कुष्ठगृह, यतीमखानों, समाजकल्याण विभाग या अन्य दूसरे सरकारी प्राधिकारी द्वारा अपंजीकृत /अमान्यता प्राप्त , मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों , रेल्वे, रेडियो स्टेशन ,टेलीविजन स्टेशन्स मय ट्रांसमीटर्स , छावनियो , भारत दूर संचार निगम (ठैछस्)के दूरभाष केन्द्र एवं उसक साथ लगे उनके ऑफिस ,रक्षा संस्थानों, हवाई अड्डों और सरकारी /रेडक्रास सोसायटी/ ट्रस्ट /सहकारी संस्थानों द्वारा संचालित अस्पताल, डिस्पेन्सरीज,क्लिनिक्स,एवं नर्सिंग होम्स की सदाशयी प्रकाश उपभोग , हीटिंग ,पम्पिंग, सड़क, इन्हीं से सम्बन्धित प्रकाश इत्यादि और 500 हार्स पावर सम्बद्ध भार तक वाले औद्योगिक भार को उपलब्ध होगी।

टिप्पणी :

1. उक्त अनुसूची एक सम्बद्ध क्षेत्र संस्थान जिसे सार्वजनिक सड़को में विभाजित न किया हुआ हो पर लागू होगी ।
2. .अगर कोई उपभोक्ता एक क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता की सुविधा हेतु,एक से अधिक बिन्दु (पॉइन्ट) रखता है, तो ऐसे सभी बिन्दुओं (पॉईन्ट्स) का उपभोग बिलिंग उद्देश्य हेतु जोड़ा जाएगा ।
4. आन्तरिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता की होगी जिसका संधारण करना , प्रत्येक उपभोक्ता की मीटर रीडिंग लेना, बिल जारी करने और राजस्व संग्रहण के कार्य उपभोक्ता को स्वयं करना होगा।
5. इस श्रेणी में से यदि किसी प्रकार का सम्बद्ध भार(स्वंक) अलग किया जाता है तो बचे हुए सम्बद्ध भार में जिस श्रेणी का भार(स्वंकद्ध सबसे ज्यादा प्रभावी(क्वउपदंदजद्ध होगा उसी श्रेणी की विद्युत अनुसूची(बीमकनसमद्ध लागू की जायेगी। यदि बचे हुए विद्युत भार में जिस श्रेणी का भार 75 प्रतिशत या इससे अधिक होगा उसी श्रेणी की विद्युत अनुसूची लागू की जायेगी। लेकिन यदि किसी भी श्रेणी का भार इस सीमा तक अधिक नहीं होगा तो बचे हुए विद्युत भार (स्वंकद्ध पर '' मिश्रित भार की प्रचुर आपूर्ति अनुसूची डस्ध्भ्ज.4 श्रेणी की विद्युत अनुसूची लागू होगी।

;बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी 50 हर्ट्ज , निम्नांकित आपूर्ति वोल्टेज पर

(प) अनुबन्ध मांग 1500 केवीए तक — एच टी, 11 केवी

(पप)अनुबन्ध मांग 1500 केवीए से अधिक एवं 5000 केवीए तक — एच टी ,33 केवी

(पपप) अनुबन्ध मांग 5000 केवीए से अधिक — ईएचटी,132 केवी या 220 केवी

(सी) प्रभार की दर :

1. स्थायी प्रभार एवं	80 रू प्रति केवीए बिलिंग डिमांड का प्रतिमाह
2. ऊर्जा प्रभार	375 पैसे प्रति यूनिट

(प) मासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं पर विलम्ब भुगतान अधिभार जोधपुरडिस्कॉम के अदत्त बकायों हेतु 2ः (दो प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा । द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ताओं से अदत्त बकायों हेतु विलम्ब भुगतान अधिभार 4ः (चार प्रतिशत) की दर से प्रभारित किया जाएगा। द्विमासिक बिलिंग वाले उपभोक्ता के मामले में यदि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की नियत तिथि के पश्चात 18 दिन मे नकद भुगतान किया जाता है तो उसके आगामी बिल में 2ः विलम्ब भुगतान अधिभार का समायोजन कर दिया जाएगा। अदत्त राशि को आगामी बिल में जोड़ा जाएगा और यह विलम्ब भुगतान अधिभार के विषयगत होगी। यद्यपि विलम्ब भुगतान अधिभार पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(पप) उपभोक्ता अपनी अनुबन्धित मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि किसी विशेष माह में वह अपनी अनुबन्धित मांग से 105ः अधिक मांग करता है, तो सम्बन्ध विच्छेद के अलावा उसे स्थायी और ऊर्जा प्रभार के समान अनुपात में अतिरिक्त प्रभार (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) अदा करना होगा जिस अनुपात में उसने अतिरिक्त मांग वास्तविकता में उपयोग में ली है।

<u>उदाहरण</u>

यदि अनुबन्धित मांग 1000 केवीए है, और वास्तविक मांग एक मास में 1200 केवीए है तो उस मास के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर)का अतिरिक्त प्रभार 20ः होगा ।

(डी) न्यूनतम बिलिंगः

क्रमाक	विवरण	चार्जेज
1.	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान	130 रूपए प्रति केवीए बिलिंग मांग का प्रतिमाह
2.	दूसरे समस्त	260 रूपए प्रति केवीए बिलिंग मांग का प्रतिमाह

टिप्पणी :–

जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफारमर की लो वोल्टेज साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है, और ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु, अभिलिखित यूनिटों एवं मांग में 3ः की वृद्धि की जाएगी।

(इ) पावर फैक्टर क्लॉज :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18. 65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) से नीचे गिरने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1ः)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95ः)से ऊपर रहता हे तो प्रत्येक 0.01 (1ः) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70ः) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

(ट) वृहत औद्योगिक सेवा (अनुसूची एलपी/एचटी–5)

(ए) प्रयोज्यता

वृहत औद्योगिक ऊर्जा उपभोक्ताओं ,प्रिटिंग प्रेसेज ,सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं , आई ओ सी / एच पी सी इत्यादि पम्पिंग स्टेशन्स , रेल्वे ट्रेक्शन भार, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक जल आपूर्ति वर्क्स ,ट्रस्ट /स्थानीय निकाय द्वारा पानी की सप्लाई, सीपेज पानी का इंगानप द्वारा वापस पम्प बैक करना, हैंडीक्राफ्टस, टेक्सटाइल्स, डाईंग एवं प्रिंटिंग उद्योग ,कोल्ड स्टोरेज, सॉफ्टवेअर यूनिट्स एवं आटा चक्की जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 150 हार्स पावर से अधिक है एवं /या अनुबन्ध/अधिकतम मांग 125 केवीए से अधिक है को उपलब्ध होगी।

(बी) सेवा की प्रकृति :

क्रंमाक अनुबंध मांग	आपूर्ति का वोल्टेज
1. 1500 केवीए तक	एचटी 11 केवी
2. 1500 केवीए से 5000 केवीए तक	एचटी 33 केवी
3. 5000 केवीए से अधिक	ईएचटी 132केवी या 220 केवी

(सी) प्रभार की दरः

1. स्थायी प्रभार	90 रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग पर प्रति मास
एवं	
2.ऊर्जा प्रभार	401 पैसे प्रति यूनिट

टिप्पणियॉः

(प). उक्त दरें सकल हैं। मासिक बिल का बिल में विनिर्दिष्ट तिथि तक पूर्ण भुगतान न करने के मामले में, देरी से भुगतान हेतु 0.1ःप्रतिदिन (जीरो पॉईन्ट एक प्रतिशत प्रतिदिन) की दर से ,अदत्त राशि पर ,अधिभार लगाया जाएगा, जब तक कि बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता ।

(पप). उपभोक्ता अपनी अनुबन्धित मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि किसी विशेष माह में वह अपनी अनुबन्धित मांग से 105ः अधिक मांग करता है, तो सम्बन्ध विच्छेद के अलावा उसे स्थायी और ऊर्जा प्रभार के समान अनुपात में अतिरिक्त प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर) अदा करना होगा जिस अनुपात में उसने अतिरिक्त मांग वास्तविकता में उपयोग में ली है । यद्यपि एक माह में आधे घंटे की अवधि में यदि सिर्फ एक बार अनुबंध मांग की 110ः प्रतिशत तक अधिक मांग करताहै तो कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जायगा

<u>उदाहरण</u>

यदि अनुबन्धित मांग 1000 केवीए है, और वास्तविक मांग एक मास में 1200 केवीए है तो उस मास के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अन्य दूसरे विविध प्रभार अगर कोई हो, को छोडकर)का अतिरिक्त प्रभार 20ः होगा ।

(पपप) रेल्वे ट्रेक्शन भार के लिए विद्युतीय सेक्शन के साथ–साथ विभिन्न सब स्टेशनों पर स्थित इलेक्ट्रोनिक मीटर्स में अभिलिखित आधा घंटे की मांग मय विद्युतीय सेक्शन का मार्ग रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया जाएगा और को समाकलित किया जाएगा और ऐसी समाकलित अधिकतम मांग की गणना का उपयोग बिलिंग मांग के लिए किया जाएगा । यह समाकलित अधिकतम मांग या सभी सब–स्टेशनों की अनुबन्ध मांग राशि के जोड 75ः जो भी अधिक हो, बिलिंग डिमाण्ड होगी के ,रेल्वे विद्युतीय सेक्शन का अधिसूचित मार्ग रेल्वे अधिकारियों द्वारा सूचित किया जायेगा ।

(पअ) रेल्वे एवं सार्वजनिक जल आपूर्ति वर्क्स के साथ–साथ समस्त वृहत औद्योगिक पावर उपभोक्ताओं के लिये यूनिट उपभोग अनुबन्ध मांग के प्रति केवीए से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्दबमदजपअम ैबीमउम) उपलब्ध है। प्रोत्साहन(प्दबमदजपअम द्ध के लिये योग्यता निम्नलिखित होगी :–

(ए) उपभोक्ता के चालू वित्तीय वर्ष का उपभोग, पिछले वित्तीय वर्ष के उपभोग से कम नहीं होना चाहिये।

(बी) नये वृहत औद्योगिक उपभोक्ता एवं वर्तमान में स्थापित उपभोक्ता जो कि अपनी अनुबन्ध मांग कम करता है उनको प्रोत्साहन योजना ,नये कनेक्शन जारी

होने की तिथी अथवा अनुबन्ध मांग कम करने की तिथी, जैसा भी हो, से छः माह की अवधि के पश्चात् वाले क्वार्टर (फनंतजमत) से देय होगा ।

(सी) उपभोक्ता के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिये ।

प्रोत्साहन(प्दबमदजपअमद्ध योग्य उपभोक्ताओं को त्रैमासिक आधार पर (च्तवअपेपवदंससल) दिया जायेगा बशर्ते उस त्रैमास (फनंतजमतद्ध में विद्युत उपभोग पिछले वर्ष के उसी त्रैमास (फनंतजमतद्ध के विद्युत उपभोग से कम नहीं होना चाहिये। दी गई प्रोत्साहन राशि , प्रत्येक वर्ष के अन्त में अन्तिम निर्धारण (।मेउमदज)के अनुसार ,वर्ष दर वर्ष के आधार पर दी जायेगी ।

यदि किसी उपभोक्ता का त्रैमासिक उपभोग पिछले उसी त्रैमास के उपभोग से कम हो लेकिन वार्षिक उपभोग पिछले वर्ष के उपभोग से अधिक हो तब भी पूरे वर्ष के हिसाब से प्रोत्साहन के योग्य होगा। ऊर्जा चार्जेज पर प्रोत्साहन निम्न प्रकार होगा :–

(प) ऊर्जा उपभोग 250 यूनिट प्रति केवीए से 400 यूनिट प्रति केवीए अनुबंध मांग का	1ः
(पप) ऊर्जा उपभोग 400 यूनिट प्रति केवीए से अधिक परन्तु 550 यूनिट प्रति केवीए अनुबंध मांग का	4ः
(पपप) ऊर्जा उपभोग 550 यूनिट से अधिक प्रति केवीए अनुबंध मांग का	7ः

(ट) 17.12.2004 के पश्चात किये गये रेल्वे के नये विद्युतीकृत सेक्शन में ऊर्जा उपभोग पर ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट विद्युतीकरण की तिथी से 5 वर्ष तक देय होगी । तत्पश्चात् सामान्य ट्रैक्शन टैरिफ लागू होगी।

(डी) न्यूनतम बिलिंग :

(प) 1000 केवीए तक की अनुबन्ध मांग	बिलिंग मांग पर 440 रूपए प्रति केवीए प्रति माह
(पप) 1000केवीए से अधिक अनुबंध मांग	
1. इन्डक्शन /आर्क फर्नेस उद्योग के लिए	बिलिंग मांग पर 700 रूपए प्रति केवीए प्रति माह

2 दूसरे समस्त	बिलिंग मांग पर 520 रूपए प्रति केवीए प्रति माह

मौसमी उद्योगों की बिलिंग मौसमी होगी अर्थात 8 माह प्रति मौसम (8गन्यूनतम बिलिंग प्रतिमाह) ।

मौसमी न्यूनतम बिलिंग राशि को 8 से विभाजित करके प्रतिमाह अथवा उस माह में वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो , के आधार पर मासिक बिलिंग की जायेगी। य़द्यपि जो मासिक चार्जेज वसूल किये गये हैं उनका समायोजन इस मौसम कें ''मौसमी न्यूनतम बिलिंग '' राशि में किया जायेगा ।

टिप्पणी :–

जोधपुरडिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफारमर की लो वोल्टेज साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त कर सकता है, और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लॉसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित अधिकतम यूनिटों एवं मांग में 3ः की वृद्धि की जाएगी।

(इ) पावर फैक्टर क्लॉज :

इस अनुसूची के अधीन उपभोक्ता जिनका स्वीकृत सम्बद्ध भार 25 हार्स पावर (18. 65 किलोवाट) से अधिक है, उन्हें अपना औसत पावर फैक्टर 0.90 (90ः)से कम नहीं रखना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.90(90ः) से नीचे गिरने के मामले मे, औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 (1ः)कमी हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का अधिभार वसूला जाएगा ।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95ः)से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.01 (1ः) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1ः का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा ।

औसत पावर फैक्टर 0.70 (70ः) से नीचे पाया जाता है तो अधिव्यापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और उसे तब तक नहीं जोड़ा जाएगा , जब तक औसत पावर फैक्टर को जोधपुरडिस्कॉम के संतोषप्रद स्तर तक सुधारा नहीं जाता।

भाग – ṁ

अस्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर (टेरिफ)

(ए) प्रयोज्यता

1 .सार्व्रजनिक सड़क प्रकाश ,कृषि श्रेणी एवं शादी गृह(मककपदह भ्वनेमे) के लिये अस्थाई कनेक्शन जारी नहीं किये जायेंगे ।

2. पहले अवसर पर अस्थायी सम्बन्ध एक माह की अवधि से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाएंगे,लेकिन आगे इसका विस्तार हर बार एक–एक माह तक की अवधि के लिए किया जा सकता है।
3. ऐसे मामलों में जहां पर मेले,प्रदर्शनी ,भ्रमणशील सिनेमा इत्यादि के लिए अस्थायी सम्बन्ध लिया जाता है ,तो इसे लाईसेन्स स्वीकृति की पूर्ण अवधि या जरूरत की अवधि, जो भी कम हो, के लिए स्वीकृत किया जाएगा।
4. मीटर की स्थापना वितरण मेन्स(क्पेजतपइनजपदह डंपदे) जहां से अस्थाई कनेक्शन हेतु सर्विस लाइन खींची गई है, पर की जायेगी।
5. निर्माण कार्यवाही के छह मास से अधिक चलने के मामले में उपभोक्ता अपने विकल्प पर तत्सम्बन्धित शुल्कदर अनुसूची के अधीन स्थायी सम्बन्ध ले सकता है। यद्यपि घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी में कुछ और निर्माण कार्य हेतु थोड़े से विद्युत भार हेतु सप्लाई चाहिये तो उपभोक्ता अपने स्थाई सम्बन्ध से भी सप्लाई ले सकता है। स्थायी सम्बन्ध के विकल्प की यह सुविधा भवन/कॉम्पेलेक्स के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी।

(बी)सेवा की प्रकृति

विद्युत आपूर्ति की शुल्कदर के भाग –ट एवं ए के अधीन विभिन्न श्रेणियों को तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु निर्धारण के अनुसार।

(सी) प्रभार की दर

1. घरेलू सेवा	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु स्थायी प्रभार, ऊर्जा प्रभार का उच्च स्लैब, दोनों का 50:
2. अघरेलू सेवा	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु स्थायी प्रभार, ऊर्जा प्रभार का उच्च स्लैब, दोनों का 50:
3. एल टी औद्योगिक सेवा (निर्माण उद्देश्यों के अलावा)	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर अधीन अनुसूची एसपी/एलटी–5 या एमपी/एल टी–6, 50:

4. एलटी औद्योगिक सेवा (निर्माण उद्देश्यों हेतु)	शुल्क दर अधीन अनुसूची एनडीएस/एलटी–2
5. हाईटेन्शन औद्योगिक सेवा सम्बद्ध भार 150 हार्स पावर से अधिक(उत्पादन /निर्माण उद्देश्यों हेतु)	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर . 50:

टिप्पणी :

इस आपूर्ति के अधीन फैक्टरी लाईटिंग हेतु अलग से मीटरिंग प्रबन्ध वांछित नहीं है। आवासीय भवनों का उपभोग/अस्थायी आवासीय शेड्स को यद्यपि अलग से मीटर्ड होगी जो तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर अनुसूची डीएस/एलटी–1 और उपरोक्त मद (1) के अनुसार . 50:

6. मिश्रित भार की प्रचुर आपूर्ति	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर एमएल/एलटी –7 50: मद 1 से 6 के लिए न्यूनतम बिलिंग तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति की निर्धारित न्यूनतम बिलिंग दर . 50:
7. उपरोक्त मदों के लिए न्यूनतम बिलिंग	तत्सम्बन्धित स्थायी आपूर्ति की निर्धारित न्यूनतम बिलिंग दर . 50:

टिप्पणीः

इस अनुसूची के अधीन कोई उपभोक्ता जिसे ऊर्जा आपूर्ति 400 वोल्टस ,थ्री फेज पर होनी है, यदि वह हाई टेन्शन पर आपूर्ति चाहता है, तो इसकी स्वीकृति पूर्णतः जोधपुरडिस्कॉम के विवेक पर होगी और उसे बिल राशि में 7.5: की छूट प्रदान होगी। यद्यपि ऐसी छूट अधिभार की राशि जो कि पावर फैक्टर क्लाज का उल्लंघन करने पर वसूल की गई है, उस पर स्वीकार्य नहीं होगी।

नोटः– भाषान्तरण में आशय की भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी भाष्य आदेश ही मान्य होगा ।

आज्ञा से

(एच.एस.देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता (सीपीएम)

विद्युत आपूर्ति की दरें
(टैरिफ –2004)

(1 जनवरी , 2005 से प्रभावी)

जोधपुर डिस्कॉम

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड